क्या जनता परिवार एकजुट हो भगवा चुनौती का सामना कर पाएगा?

-मनोज कुमार झा

केंद्र में मोदी सरकार के बने अभी सात महीने ही हुए हैं, पर इसकी लोकप्रियता का ग्राफ़ तेज़ी से नीचे आता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में मोदी-अमित शाह का 'मिशन 44+' बुरी तरह फ़ेल हो गया। झारखंड में भाजपा को सफलता मिली है, पर लहर जैसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ी। झारखंड में मिली जीत की वजह जनता के सामने अन्य विकल्प का नहीं होना है। भूलना नहीं होगा कि झारखंड बने 14 साल हुए हैं, जिनमें 10 साल तक भाजपा ही वहां जोड़-तोड़ कर सत्ता पर काबिज़ रही है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को संभवत: यह बात याद नहीं रही और उन्होंने दावा किया पिछली सरकारों ने झारखंड को लूटने का काम किया है। यह सच है। हर सरकार ने झारखंड को लूटा है और भाजपा वहां सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही, इसलिए उसने राज्य को सबसे ज्यादा लूटा है। एक बार फ़िर से झारखंड को निरंकुश व निर्भय होकर बिना किसी गठजोड़ के लूटने का 'जनादेश' उसे मिल गया है। जम्मू-कश्मीर में भी सरकार बनाने को लेकर भाजपा नेतृत्व उत्साह में दिखी। हर तरह के विकल्प खुले रखती है भाजपा। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, हर तरह के विकल्प खुले रखकर ही बनी। अब भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने जीत का लड्डू खाकर यह घोषणा कर दी है कि अगला नंबर बिहार और बंगाल का है। भारत विजय की तैयारी है भाजपा की। अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि कम से कम वोटरों का समर्थन पाकर हर जगह सत्ता में आती जा रही भाजपा वो क्या कदम उठाती है कि इसका जलवा कायम रहे। खास बात यह है कि इसकी नीतियों के देखते हुए विरोधी तो विरोधी, आम जनता में भी असंतोष पैदा होने लगा है, क्योंकि अब तक मोदी जी ने सिर्फ़ बातें ही बड़ी-बड़ी की हैं। शासन-प्रशासन, अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों पर सरकार की कोई उपलब्धि सामने नहीं आ सकी है। जनता को यह महसूस होने लगा है कि यह सरकार तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से भी अधिक नाकारा है।

दूसरी तरफ़, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का तेवर दिन-ब-दिन लगातार उग्र होता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद् और संघ परिवार के अन्य संगठन साम्प्रदायिक मुद्दों को उभारने की पुरज़ोर कोशिश में लगे हुए हैं। वे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के एजेण्डे पर काम कर रहे हैं। जनता के मुद्दे हवा हो गये। बात सिर्फ़ धर्मांतरण की चल रही है। 'घरवापसी' कराने पर पूरा ज़ोर हैं। इसे लेकर संसद में कांग्रेस समेत अन्य दल लगातार विरोध जता रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर मुंह खोलने की जरूरत नहीं समझी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुलेआम धर्मांतरण और 'घरवापसी' का आह्वान किया है। आपत्तिजनक बयान देते हुए उन्होने हिन्दुओं को 'अपना माल' घोषित किया और कहा कि वे मुस्लिम और ईसाइयों की 'घरवापसी' कराएंगे। जाहिर है, इससे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, पर भाजपा तो चाहती ही यही है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ही वह केन्द्र की सत्ता में पहले भी आई और अभी भी आई है, इसलिए वह साम्प्रदायिक नीतियों को छोड़ नहीं सकती। नरेन्द्र मोदी उग्र हिंदुत्व के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वो लाख 'विकासपुरुष' बनने का ढोंग करें, पर इसे कोई मानेगा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सोच-समझ कर उन्हें भाजपा नेतृत्व में शीर्ष पर पहुंचाया है। अब ये उन पर है कि वे संघ को उसका एजेंडा लागू करने की पूरी छूट दें। धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा नेताओं का कहना है कि वे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने के पक्ष में नहीं हैं, पर 'घरवापसी' जैसे साम्प्रदायिक अभियानों का खुला समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने कहा है कि धर्मांतरण से जुड़ा मुद्दा राज्यों का है। इसे इन्हें देखना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदू परिषद् ने यह घोषणा की है कि जल्दी ही अयोध्या में चार हज़ार मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जाएगा। जाहिर है, इससे बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलेगा। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण तेज़ होगा और भाजपा इससे फ़ायदा उठायेगी। क्या नरेन्द्र मोदी की सरकार विश्व हिंदू परिषद् को उसके इस साम्प्रदायिक अभियान से रोक सकती है? हर्गिज़ नहीं। इसके पीछे वजह है कि भाजपा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ होना चाहती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए भाजपा और संघ परिवार ने पहले वहां लव जिहाद का मुद्दा गर्म किया था, पर वह पिट गया। अब खुल कर धर्मांतरण कराने की योजना है। इससे साम्प्रदायिक घृणा का माहौल बनेगा और भाजपा अपने मंसूबे पूरे कर सकेगी। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी संघ परिवार साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति पर चल रहा है। मुंबई में विहिप के एक कार्यक्रम में तोगड़िया और ऐसे ही भगवा ढोंगियों ने कहा कि हिंदू सिर्फ़ भारत में ही नहीं हैं। रूस भी पहले हिंदू देश था। वे यूरोप और अन्य महाद्वीपों को भी हिंदू बताते हैं। इसके साथ ही, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग़ों को, खासकर बांग्लादेशियों को डरा-धमका कर उनका धर्मांतरण कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। तरह-तरह के संगठन सामने आ रहे हैं, जो पोस्टरों-पैम्फलैटों के माध्यम से हिंदू धर्म की ध्वजा ऊंचा लहराने की कोशिश में लगे हैं। ये बेलगाम हैं और खुली गुंडागर्दी पर ऊतारु हैं। जाहिर है नरेन्द्र मोदी के सत्ता में होने के कारण ये किसी तरह का भय महसूस नहीं कर रहे, पर इनके क्रिया-कलापों से देश के अल्पसंख्यकों में एक तरह का खौ़फ़ पैदा हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी हो सकती है। कहा जा सकता है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में एक तरह का भगवा आतंकवाद फैल रहा है। क्या अब मुसलमानों और ईसाइयों को जबरन हिंदू बनाया जाएगा, यह डर अल्पसंख्यकों में पैदा हो रहा है। जाहिर है, कमजोर वर्ग के और ग़रीब लोग ही इनके निशाने पर आते हैं। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और अच्छी हैसियत रखने वाले मुस्लिम-ईसाइयों का ये कुछ नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि जब नरेन्द्र मोदी ने धर्मांतरण कराने वाले संगठनों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 'सामना' में लेख लिख कर कहा कि नरेन्द्र मोदी धर्मांतरण का विरोध नहीं कर सकते, वो इसके पक्ष में ही रहेंगे। वहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हज़ार साल के बाद देश में हिंदू राज स्थापित हुआ है। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी ने इसका विरोध करने की जरूरत नहीं समझी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि संघ परिवार को साम्प्रदायिक ज़हर फ़ैलाने की पूरी छूट मिल गई है? संघ यह मान कर चल रहा है कि देश की सत्ता अब उसके हाथ में है। नरेन्द्र मोदी महज संघ के एक मोहरे हैं। संघ ने उन्हें भाजपा में शीर्ष पर पहुंचाया। फ़िर भला वो संघ की धर्मांतरण करने की नीतियों का विरोध कैसे कर सकते हैं! स्वयं उनकी छवि भी गुजरात में सुनियोजित दंगा करवाने वाले नेता की रही है। अपने को उदारवादी कहने वाले अटल-आडवाणी ने उनका खुलेआम विरोध किया था, वहीं शिवसेना जैसे कट्टर संगठनों ने उनका समर्थन किया था। तो क्या यह माना जाए कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए संघ परिवार देश में भगवा आतंकवाद फैलाएगा?

यह एक गंभीर सवाल है। लेकिन देश में राजनीतिक विकल्पहीनता की जो स्थिति बन गई है, उसमें इसका जवाब देने वाला कोई नहीं । भगवा ब्रिगेड के हौसले बुलंद हैं। संघ समझ रहा है कि अपनी साम्प्रदायिक नीतियों को आगे बढाते हुए और मोदी की प्रचार शैली के सहारे उसे देश की बाकी राज्यों में भी सत्ता हासिल कर लेने में सफलता मिल जाएगी। यद्यपि जम्मू-कश्मीर में उसका दांव नहीं चल पाया, पर यही बात यूपी, बिहार, बंगाल के बारे में नहीं कही जा सकती। भूलना नहीं होगा कि इन राज्यों में वोटर अभी शासन कर रहे दलों से पूरी तरह असंतुष्ट हो चुके हैं और महज बदलाव के लिये वे भाजपा के पाले में जा सकते हैं। कांग्रेस का तो हर जगह सूपड़ा साफ़ होता दिखाई पड़ रहा है, वहीं क्षेत्रीय दलों और क्षत्रपों में भी हड़कंप की स्थिति है। उनमें यह भय व्याप्त हो चुका है कि कहीं उनका पूरी तरह सफ़ाया ही न हो जाए।

इसे देखते हुए पिछले दिनों मुलायम, लालू, नीतीश, शरद और जनता परिवार के पुराने नेता दिल्ली में जंतर-मंतर पर महाधरना देने के लिये एकजुट हुए। बिहार में लालू और नीतिश पहले ही हाथ मिला चुके हैं। इसके पहले भी दिल्ली में मुलायम की पहल पर जनता परिवार के नेता जुटे थे और उन्होंने एक फ्रंट बना कर भगवा चुनौती का सामना करने की बात कही थी। कहा जा रहा है कि मुलायम के नेतृत्व ते जनता परिवार के कथित दल महाविलय भी कर सकते हैं और एक पार्टी बना कर एक झंडे के साथ मैदान में उतर सकते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि पहले लालू और नीतिश अपने दलों का विलय करेंगे। इनकी कोशिश है कि ममता बनर्जी भी इनके साथ आ जाएं। उल्लेखनीय है कि अमित शाह ने अगला निशाना बंगाल को बना रखा है। उन्होंने वहां काफ़ी सरगर्मी शुरू की है। सारदा घोटाले में तृणमूल के सांसद की गिरफ़्तारी के बाद ममता भी बौखला गई हैं और वह खुल कर नरेन्द्र मोदी सरकार को चुनौती दे रही हैं। मुलायम द्वारा प्रस्तावित महादल में उनके आने की संभावना काफ़ी है, पर सवाल ये है कि फ़िर वामपंथियों का क्या होगा। क्या वामपंथी इस महा दल से दूर रहेंगे या फिर वे बाहर से इनका समर्थन करेंगे? यही बात मायावती के साथ है। मायावती मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हैं, पर क्या उनका मुलायम के साथ आ पाना संभव है? अगर सारे मोदी विरोधी दल एकजुट नहीं होते तो फ़िर वे सफल कैसे हो सकेंगे? यहां स्पष्ट है कि जंतर-मंतर पर हुए महाधरने में शामिल सभी नेताओं ने मुलायम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, पर ममता के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। वहीं, वामपंथियों की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है।

सवाल ये है कि महाविलय के बाद अगर जनता परिवार एक होता भी है तो क्या ये भगवा चुनौती का सामना कर सकेगा। भूलना नहीं होगा कि ये वही दल हैं, जिनके नेताओं पर न जाने भ्रष्टाचार के कितने मामले चलते रहे हैं और जनता के बीच इनकी छवि कतई साफ़-सुथरी नहीं रही है। लालू से लेकर मुलायम तक के चेहरे भ्रष्टाचार की कालिख से पुते हुए हैं। ममता के सांसद भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और ममता उनके बचाव में सामने आ रही हैं। लालु से लेकर मुलायम तक ने जातिवाद को बढावा दिया हो, अल्पसंख्यकवाद को भी अपना राजनीतिक औज़ार बनाया। इन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण के सहारे अपनी राजनीति की है। साथ ही, राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने में ये कांग्रेस से ज़रा भी पीछे नहीं रहे हैं। ग़रीब जनता के मुद्दे कभी इनकी प्राथमिकता में नहीं रहे। इसके विपरीत, अपने व्यवहार से इन्होंने ग़रीब का मज़ाक उड़ाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। अभी हाल में मुलायम ने जिस राजसी तौर-तरीकों से अपना जन्मदिन मनाया, उसे देखते हुए कतई नहीं कहा जा सकता कि ये आम जनता के हित में काम कर सकते हैं। ये सिर्फ़ सत्ता के भूखे हैं। अब इनमें यह डर समा गया है कि कहीं इनका अस्तित्व ही न मिट जाए, इसे घोर संकट की घड़ी मानते हुए ये अब एक साथ आ रहे हैं। जनहित इनका मुद्दा नहीं है, ये बस किसी तरह अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। खास बात ये भी है कि मुलायम सिंह की प्रधानमंत्री बनने की बहुत पुरानी लालसा है। इसी चक्कर में इन्होंने यूपी का ताज अपने सुपुत्र अखिलेश यादव को सौंपा था, पर अब तो सूबे की सत्ता बनाये रख पाने का संकट दिखाई पड़ रहा है। मोदी-अमित शाह की जोड़ी का अगला निशाना यूपी-बिहार ही है। यूपी-बिहार और बंगाल फतह के बाद ही भगवा का भारत विजय अभियान पूरा हो सकता है। मुलायम-लालू-नीतीश इस ख़तरे को भांप रहे हैं और इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह उनकी सत्ता पर आंच न आए। पर भगवा चुनौती का सामना कर पाना उनके लिये कठिन ही नहीं, असंभव-सा है। संघ की ताकत कोई एक दिन में इतनी नहीं बढ़ी है। इसके पीछे भी इन नेताओं की जनविरोधी नीतियां और सत्ता संचालन में नाकामी रही है। मुलायम-नीतीश-लालू कांग्रेस के समर्थक रह चुके हैं। नीतीश तो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के सवाल पर भाजपा गठबंधन राजग से अलग हुए। बाकी उन्हें लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं थी। ये इनकी वैचारिक स्थिति है । वामपंथियों का वैचारिक दिवालियापन तो बहुत पहले से उज़ागर होता रहा है। इसलिए यह उम्मीद करना बेमानी होगा कि जनता परिवार महाविलय कर नरेन्द्र मोदी की सत्ता के लिए कोई चुनौती पेश कर पाएगा। अभी जो हालात बन रहे हैं, उसमें भगवा आतंक का कहर बढेगा। कोई जनविकल्प दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में, सामाजिक-राजनीतिक संकट और भी गहराएगा। जनता को और भी दुर्दिन देखने हैं।

धर्मांतरण और कानून

विजय विद्रोही

उत्तर प्रदेश में संघ परिवार की तरफ से अचानक धर्मांतरण (जिसे वे घर वापसी कहते हैं) के कार्यक्रमों में तेजी आई है। संघ परिवार लंबे समय से अपनी यह मुहिम चला रहा है। उसका दावा है कि वह अब तक सात लाख लोगों की इस तरह घर वापसी करवा चुका है। लेकिन बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि धर्मांतरण कैमरों में बाकायदा कैद किया गया (या कहें कि करवाया गया)। पहली बार ऐसा हुआ कि समाचार चैनलों पर इस पर लंबी.चौड़ी बहस हुई और संसद में भी लगातार मोदी सरकार को घेरा गया। राज्यसभा में तो विपक्ष ने मांग कर डाली कि धर्मांतरण पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद रहें और पूरी बहस के बाद देश को बताएं कि वे आखिर इस विषय पर क्या सोचते हैं।

पहली बार ऐसा हुआ कि संघ परिवार की एक शाखा के एक पदाधिकारी का खत सामने आया। इसमें ईसाई के धर्मांतरण पर दो लाख और मुसलिम के धर्मांतरण पर पांच लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलिम से हिंदू बनाए गए कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश के नागरिक हैं। ऐसे आरोप लगने के बाद संघ परिवार का एक वर्ग खासा नाराज भी हुआ। भाजपा ने जरूर इस आंदोलन की आड़ में धर्मांतरण रोकने का कानून बनाने की चुनौती विपक्ष के सामने रखी। विपक्ष इस पर दाएं.बाएं होता रहा और मोदी को घेरने की रणनीति बनाता रहा। लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए। जरा.जरा सी बात पर ट्वीट करने वाले मोदी ने इस गंभीर मसले पर खामोशी अख्तियार रखी।

ऐसा नहीं है कि पहली बार धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग देश में उठी हो। संघ परिवार शुरू से कहता आया है कि ईसाई मिशनरियां और मुसलिम संगठन लालच देकर धर्मांतरण करवाते हैं। अकेला संघ परिवार ही ऐसा है जो ऐसों की घर वापसी करवाता है। इस बार भी संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कह दिया कि ईसाई मिशनरियों को विदेश से पैसा मिलता रहा है धर्मांतरण के लिएए और भाजपा तो शुरूसे यह चाहती रही है कि इस पर रोक लगाने के लिए कानून बने।

यह बात सही है कि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन का अभियान चलाया था। 1869 के आसपास अंगरेजों ने भारत में ईसाई मिशनरियों को इस तरह के धर्म परिवर्तन करने की इजाजत दी थी। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि पिछले बीस सालों में संघ की शाखा वनवासी कल्याण परिषद के सक्रिय होने के बाद इस अभियान में कमी आई है और (घर वापसी) का उलटा सिलसिला भी कुछ जगह शुरु हुआ है।

यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि अगर ईसाई मिशनरियों ने लालच में धर्म परिवर्तन करवाए तो वह गलत थाए संविधान के खिलाफथा। लेकिन यही बात संघ परिवार पर भी लागू होती हैए जो दो से पांच लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहा है। 1967 में ओड़िशा और मध्यप्रदेश में कानून बना। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ। इस बीच गुजरात और छत्तीसगढ़ में 2003 में और हिमाचल प्रदेश में 2006 में ऐसा ही कानून लाया गया। राजस्थान समेत कुछ भाजपा शासित राज्यों के विधेयक राष्ट्रपति के पास अटके हुए हैं। 1954 और 1960 में संसद में ऐसे विधेयक भी रखे गए जो पास नहीं हो सके।

आखिरी बार 1979 में जनता पार्टी की सरकार ऐसा विधेयक लाई थी लेकिन मुसलिम और अन्य संगठनों के भारी विरोध के बाद विधेयक पेश नहीं किया जा सका था। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि पचास और साठ के दशक में ईसाई मिशनरियों ने कोरोसीन की दवा देकर और बाइबिल पर हाथ रखवा कर आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया।

यह आरोप अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन तब की कोरोसीन की गोली और अब के दो से पांच लाख रुपए में क्या कोई फर्क किया जा सकता है! हैरानी की बात है कि दोनों ही मुद्दों पर मोदी चुप्पी साधे रहे। न तो कोई ट्वीट आया और न ही सूत्रों के हवाले से उनके नाराज होने की कोई खबर। यहां यह सवाल उठाया जाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर उनके संसदीय कार्यमंत्री कानून बनाने की बात करते हैं तो देश को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस पर क्या सोच रखते हैं। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी 2003 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाए थे, जिसे तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन मोदी ने उसे किन्हीं नामालूम वजहों से लागू नहीं किया।

इस कानून में 2006 में मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए संशोधन करवाया था। संशोधन में कहा गया था कि जैन और बौद्ध भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, लिहाजा आपस में धर्म परिवर्तन को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। इस संशोधित विधेयक को तब के राज्यपाल नवलकिशोर शर्मा ने रोक लिया था।

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे ईसाई फोरम ने 2009 में गुजरात हाइकोर्ट में इस विधेयक को चुनौती दी। इस पर हाइकोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। लेकिन अभी तक गुजरात सरकार ने नोटिस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विधेयक जबरन या धोखे या लालच में कराए गए धर्म परिवर्तन को अवैध बताता है और तीन से चार साल तक की सजा का प्रावधान रखता है । धर्म परिवर्तन करने वाले को जिला मजिस्ट्रेट को एक महीने पहले सूचना देनी होगी। वे फिर आपत्तियों को आमंत्रित करके उस पर सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे। यानी विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि धर्म परिवर्तन करने वाला पहले दस बार सोचे। लेकिन विधेयक यह भी कहता है कि अगर कोई अपने मूल धर्म में लौटना चाहे तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा।

आंबेडकर ने दलितों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील की थी और तब सवर्णों के अत्याचारों से त्रस्त दलितों ने बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया था। गुजरात के विधेयक में इसलिए भी यह संशोधन किया गया कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को मूल धर्म में लौटाने की कोशिशों में जिला मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत को निकाल दिया जाए। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर जैन धर्म मानने वालों को दोबारा हिंदू बनाने की जरूरत क्या है। जैन खुद को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग करते रहे हैं और इसमें वे सफल भी हुए हैं। जो खुद को अल्पसंख्यक बता रहा है उसे गुजरात सरकार धर्मांतरण के घेरे से बाहर क्यों रख रही है!

इसी तरह मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित धर्मांतरण विरोधी विधेयक को देखा जा सकता है। वहां 1967 से ही ऐसा कानून बना हुआ था। तब की कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनवाया था। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम नाम से बना यह कानून कहता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले को एक महीने के भीतर जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी कि उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदल लिया है । लेकिन भाजपा की शिवराजसिंह सरकार 2006 में संशोधित विधेयक लेकर आई। इसमें कहा गया कि जो धर्म बदलना चाहता है उसे एक महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, उसे बताना होगा कि वह कौन.सा नया धर्म अपनाने जा रहा हैए क्यों अपनाने जा रहा है और धर्म परिवर्तन कौन धर्मगुरु संपन्न कराएगा।

विधेयक कहता है कि अगर किसी ने किसी महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का जबरन या धोखे या लालच से धर्म बदलवाया तो उसे एक साल तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक में यह भी कहा गया कि मूल धर्म में लौटने पर उसे धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लिहाजा उस पर ये सारे प्रावधान लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को रोक दिया तो पिछले साल वहां की सरकार एक नया विधेयक लेकर आई। उसमें धर्मगुरुओं को भी कानून के दायरे में लाया गया। कहा गया कि अगर किसी धर्मगुरु ने पंद्रह दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया कि वह किसका धर्म परिवर्तन करवाने वाला है तो उसको भी एक साल की सजा दी जा सकती है। इस विधेयक में महिलाए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले को चार साल तक की सजा हो सकती हैए इसके अलावा उसे एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अन्य पर तीन साल तक की सजा और पचास हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भी ऐसा ही विधेयक विधानसभा में पारित करवाया। यह भी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए अटका पड़ा है। इसी तरह का विधेयक राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था, जिसमें सजा पांच साल की रखी गई। यह विधेयक तब की राज्यपाल प्रतिभा पाटील ने लौटा दिया था। वसुंधरा सरकार ने फिर से विधेयक पास करवाया।

इस बार चूंकि राज्यपाल इसे रोक नहीं सकती थीं लिहाजा उन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उसके बाद खुद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गईं और विधेयक वहीं अटका रहा। अभी तक अटका है। इस विधेयक में भी कहा गया है कि मूल धर्म में स्वेच्छा से लौटने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

इन विधेयकों का ईसाई और अन्य संगठन इस आधार पर विरोध करते रहे हैं कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ हैं जिनमें नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार.प्रसार करने की आजादी दी गई है। इनका कहना है कि संविधान तो इतनी आजादी देता हैए जबकि ये विधेयक मजिस्ट्रेट को सारे अधिकार देते हैं। होना तो यह चाहिए कि स्वेच्छा से धर्म बदलने वाला जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेए न कि ऐसा करने की अनुमति मांगे। साफहै कि ज्यादातर आदिवासी, दलित और अन्य गरीब तबकों के लोग ही धर्म परिवर्तन की तरफ जाते हैं। ऐसे लोगों पर दबाव भी आसानी से बनाया जा सकता है। लिहाजा ईसाई मिशनरियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ही ये विधेयक लाए गए लगते हैं।सवाल उठता है कि जब हमारे संविधान में साफ कहा गया है कि कोई भी नागरिक अनुच्छेद 25 के अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म का आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार रखता हैए धोखे से या लालच से या जबरन धर्मांतरण करवाने वाले को धारा 295(क) के तहत एक साल की सजा हो सकती हैए फिर क्यों कुछ राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन पर अलग से कानून बनाना चाहती हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि इन कानूनों का कितना इस्तेमाल इन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए किया गया।